जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,ऊना

जिला दण्डाधिकारी कार्यालय, ऊना,हिमाचल प्रदेश

आदेश

संख्या 683-711 डी.आर.ओ/रिलीफ-डीडीएमए दिनांक 10-01-2022

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश संख्या 545-572/DRO/Relief-DDMA दिनांक 06-01-2022, 587-615/DRO/Relief-DDMA दिनांक 08-01-2022, 616-645/DRO/Relief-DDMA दिनांक 09-01-2022 की निरंतरता और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश संख्या Rev(DMC)(C)20-2/2021-COVID 19-IV दिनांक 09-01-2022 की अनुपालना में, मैं, राघव शर्मा, भा.प्र.से., ज़िला दंडाधिकारी, ऊना, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 33 और 34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में यह आदेश करता हूँ कि जिला ऊना में दिनांक 11-01-2022 की सुबह 6 बजे से दिनांक 24-01-2022 की सुबह 6 बजे तक निम्नलिखित प्रतिबंध लागू किये जाएंगे :

1. जिला ऊना की सीमा के भीतर सोमवार से शुक्रवार सभी दुकानें, बाजार/ बाजार परिसर, मॉल रोजाना शाम 6:30 बजे के उपरान्त बंद रहेंगे।

2. जिले में शनिवार और रविवार को बाजार पूरी तरह बंद रहेंगे। यह आदेश उन दुकानों पर लागू नहीं होगा जो केवल फल-सब्जी की बिक्री और दूध-डेयरी उत्पाद की बिक्री के लिए ही पंजीकृत है ।

3. सभी रेस्तरां/ ढाबे/ कैफे रात्रि 10 बजे तक बैठने की क्षमता के 50% पर संचालित होंगें।

4. यह आदेश होटल और दवाई की दुकानों पर लागू नहीं होंगें।

5. सरकार द्वारा अधिकृत लिकर वेंडस आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित समय के अनुसार खुलेंगे।

सभी उपमंडल दण्डाधिकारी, तहसीलदार, पुलिस एवं स्थानीय प्राधिकारियों को उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये जाते हैं। उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत दंडनीय अपराध होगा। जिला ऊना के सभी उपमंडल दण्डाधिकारी, तहसीलदार, डीएसपी और एसएचओ और उपमंडल दण्डाधिकारी द्वारा विशेष रूप से अधिकृत अधिकारियों को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 60 के तहत कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

दंड प्रावधान

कोई भी व्यक्ति जो इन आदेशों का उल्लंघन करता है या कोविड-19 के उचित व्यवहार का पालन नहीं करता है, उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 के प्रावधानों के अनुसार, आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत जैसा लागू हो, कार्रवाई की जा सकती है।

(राघव शर्मा, भा.प्र.से)
अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं
जिला दण्डाधिकारी, ऊना
जिला ऊना, (हि.प्र.)।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित है :-

1. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला को सूचनार्थ हेतु।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला को सूचनार्थ हेतु।
3. पुलिस अधीक्षक, ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन हेतु।
4. समस्त उपमंडलाधिकारी (ना.), जिला ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन हेतु।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन हेतु।
6. समस्त तहसीलदार, जिला ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन हेतु।
7. समस्त खंड विकास अधिकारी, जिला ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन हेतु।
8. समस्त कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, ऊना, मैहतपुर, संतोखगढ़, जिला ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन हेतु।
9. समस्त सचिव, नगर पंचायत, गगरेट, दौलतपुर चौंक, अम्ब, टाहलीवाल, जिला ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन हेतु।
10. जिला जनसंपर्क अधिकारी, ऊना (हि.प्र.) को व्यापक प्रचार हेतु ।
11. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, ऊना (हि.प्र.) को जिला आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. समस्त विभाग प्रमुख, जिला ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन हेतु।

(राघव शर्मा, भा.प्र.से)
अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं
जिला दण्डाधिकारी, ऊना
जिला ऊना, (हि.प्र.)।